न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–84/2014–15

विनोद चौधरी **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
22-2-18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद विनोद चौधरी, पिता श्री रघुवीर चौधरी, लोदीपुर, ब्यापुर पंचायत–बॉक, प्रखण्ड–मनेर, पटना जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अनुज्ञप्ति सं0 71/07 (रद्द) ने अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के ज्ञापांक 1299(आ0) दिनांक 17.10.2014 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश की कंडिका–15 के आलोक में दिनांक 03.02.2015 को दाखिल किया है। साथ हीं काल बाधित हेतु Limitation Act की धारा–5 के अन्तर्गत भी आवेदन दिया है। दिनांक 21.03.2015 को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को कालबाधित आवेदन को स्वीकृत करते हुए, वाद प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए, सुनवाई के लिए अगली तिथि 14.05.2015 निर्धारित की गई। दिनांक 14.05.2015 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त। दिनांक 22.02.2018 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अपीलकर्ता ने अपील आवेदन में अंकित किया है कि उनकी दुकान के अनुज्ञप्ति को नियमानुकूल विधि सम्मत् तरीके से रद्द नहीं किया गया, बल्कि जान बूझ कर, वहाँ रिक्ति उत्पन्न करने के लिए किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा दिनांक 21.07.2014 को उन्हें सुने बिना ही उनकी अनुज्ञप्ति सं0 71/07 को रद्द किया गया है। उनका कथन है कि वे प्रत्येक माह खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण सरकारी मूल्य पर करते हैं। उन्होंने साक्ष्य स्वरूप 45 (पैतांलिस) कार्ड धारकों की सूची उनके नाम, कूपन संख्या एवं हस्ताक्षर सहित अनुमंडल कार्यालय में समर्पित किया था। उन्होंने यह भी अंकित किया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के पत्र सं0 1093(आ0) दिनांक 16.09.2014 द्वारा उनसे विगत छः माह के वितरण पंजी एवं कैशमेमो का मांग की गयी थी। जिसे उनके द्वारा कार्यालय में जमा कर दिया गया। इसके बावजूद अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा उनकी कागजातों पर विचार नहीं किया गया एवं अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। अंत में अपीलार्थी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए कहा गया कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनके स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया है एवं उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)	

आदेश–2001 की कंडिका–7(V) के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जिला चयन समिति की सम्पुष्टि प्राप्त नहीं की गयी है। इस प्रकार पारित आदेश नियम संगत नहीं है एवं निरस्त करने योग्य है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि बिक्रेता द्वारा अन्य अनियमित तथ्यों के साथ–साथ तीन माह के खाद्यान्न का उठाव कर एक माह का वितरण करना, निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न की आपूर्ति करना एवं निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना काफी गंभीर आरोप हैं एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2011 के प्रावधानों का उल्लघंन है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनेर द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में अपीलार्थी के विरूद्ध निम्नांकित अनियमितता प्रतिवेदित किया गया था :–

(1) भण्डार –सह– मूल्य प्रदर्शन पट्ट संधारित नहीं पाया गया।

(2) दुकान से सम्बन्धित पंजियों का अवलोकन नहीं कराया जाना।

(3) किरासन तेल निर्धारित मात्रा से कम निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल कर लाभुकों को दिया जाना।

(4) अंत्योदय एवं पी0एच0एच0 खाद्यान्न मार्च, 14 से मई, 14 तक का उठाव कर सिर्फ मार्च, 2014 का वितरण किया जाना।

(5) खाद्यान्न वितरण निर्धारित मात्रा से कम एवं निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलना

(6) कैशमेमो का संधारण नहीं करना

उपरोक्त आरोप के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरणोत्तर से असंतुष्ट होने के उपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर ने आदेश ज्ञापांक 1299(आ0) दिनांक 17.10.2014 द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया है। जहाँ तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2001 की कंडिका–7 के तहत जिला चयन समिति की सम्पुष्टि का प्रश्न है, तत्समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2011 प्रभावी था, जिसके तहत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि सम्प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 प्रभावी है एवं इसमें जिला चयन समिति से सम्पुष्टि का कोई प्रावधान नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विचारोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश अनुज्ञप्ति रद्द ज्ञापांक 1299(आ0) दिनांक 17.10.2014 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।